संख्या-1364/2025/2006/22-2-2023-17(569)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 13 नवम्बर, 2025*

विषय:- जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती गुड़िया पत्नी सरवनलाल, निवासी जनपद-हरदोई की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती गुड़िया पत्नी सरवनलाल, ग्राम-गोपालपुर, थाना-टड़ियावां, जनपद-हरदोई का निवासी है। महिला बन्दी द्वारा पारिवारिक विवाद के कारण दिनांक 14.01.2019 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर केरोसीन डाल कर आग लगाकर अपनी देवरानी रामश्री नामक महिला की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-162/2019 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, हरदोई के दण्डादेश दिनांक 31.03.2022 द्वारा आजीवन कारावास के सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 16.05.2022 तक अपरिहार 11 माह 11 दिन तथा 11 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी की 26 वर्ष की आयु, महिला बन्दी द्वारा दिनांक 16.05.2022 तक अपरिहार 00 वर्ष, 11 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 00 वर्ष, 11 माह, 17 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती गुड़िया (बन्दी संख्या-22/2022) पत्नी सरवनलाल, निवासी जनपद-हरदोई की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1364/2025/2006(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, हरदोई।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in